न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि.सं.– 28/2019
दायर तिथि– 04.06.2019
तारीख निर्णय – 07.10.2019

प्रार्थी :–
श्री कृष्ण चैतन्य पुत्र विक्रमसिंह
जाति – राजपुरोहित
निवासी – जोधपुर, जिला – जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 07.10.2019

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरहद मौजा रोजड़ा पटवार क्षेत्र नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 168 मी किस्म बारानी दोयम जिसके नये खसरा नं. 875 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम व खसरा नं. 876/1 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम आयी हुई स्थित थी, उपरोक्त भूमि गत खसरा नं. 168 मी की किस्म सेटलमेन्ट से पूर्व बारानी दोयम दर्ज रही है, जो जमाबन्दी संवत 2028–31 में दर्ज है तथा वक्त सेटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 168 मी से नये बने नये खसरा नं. 875 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम व खसरा नं. 876/1 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर के सबूत में मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–76 साथ संलग्न है, जिसमें किस्म बारानी दोयम के स्थान पर जवाई नहरी प्रथम गलत रूप से दर्ज किया हुआ है।

(2) कि प्रार्थी की भूमि की किस्म सेटलमेन्ट से पूर्व बारानी दोयम दर्ज रही है तथा सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने भूलवश किस्म बारानी दोयम के स्थान किस्म जवाई नहरी प्रथम गलत रूप से दर्ज कर दी गयी है, जो किस्म परिवर्तन बिना किसी कारण से की गयी है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि जवाई नहर से कभी भी सिंचित नहीं हुई है, जिसके सबूत में सिंचाई विभाग से जारी बाराबन्दी सूची की फोटोप्रति संलग्न है तथा ना ही उक्त भूमि में कभी रबी की फसल जवाई नहर से बोई गयी है, जिसके सबूत में उक्त भूमि खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तथा उक्त भूमि मौके पर पथरीली है, जिसके संबंध में उक्त भूमि की भौगोलिक स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ पत्रावली में पेश किये गए है।

(3) कि उक्त कृषि भूमि गत खसरा नं. 168 मी किस्म बारानी दोयम जिसके नये खसरा नं. 875 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम व खसरा नं. 876/1 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गत खसरा नं. से नये खसरा नं. दर्ज करते समय भूमि की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गलत रूप से जवाई नहरी प्रथम दर्ज की है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गत खसरा नं. 168 मी से बने नये खसरा नं. 875 व 876/1 दर्ज करते समय भूमि की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गलत रूप से जवाई नहरी प्रथम दर्ज की है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना उचित है। जिससे उपरोक्त भूमि में दर्ज किस्म जवाई नहरी प्रथम के स्थान पर पूर्व अनुसार बारानी दोयम दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का नेतरा एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **07.10.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

07.10.19

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी ... पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.14 16:17:39 IST
Reason: SelfAttested